—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 9/2024

उनवान

1. कोमल पुत्री देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. देवकरण पुत्र बलदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :—

दिनांक :— 23.12.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी/काश्तकारी की भूमि ग्राम झडवासा तहसील नसीराबाद में स्थित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2432	0.02	3788	0.02
977 मिन	1.93	525/4562	1.63
		525/4567	0.18
2265	0.02	3868	0.02
2269 मिन	0.46	3870	0.46
2434	0.27	3766	0.27
2286	0.28	3785	0.28
2287	0.13	3786	0.13
2283	0.36	3790	0.36
		3791	0.15
2242	0.10	3847	0.10
2278	0.18	3854	0.18
2276	0.08	3556	0.08
2245	0.31	3859	0.31
2246	0.15	3860	0.15
		3876/4709	0.13
2444	0.35	3881	0.35
2443	0.34	3883	0.34
2440	0.53	3895	0.53
		6179/3758	0.02
		6180/3758	0.15

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी का भी आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार निहित है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा को बैचान करने पर व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरणमें अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम झडवासा के खाता संख्या 214/208 किता 16 रकबा 3.53, 216/358 किता 2 रकबा 1.81, खसरा नम्बर 3868 रकबा 0.02, 3870 रकबा 0.46 व 3788 रकबा 0.02 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। साबिक राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी बलदेव पुत्र भूरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पति पर प्रार्थी का हक निहित है। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि पुश्तैनी है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी का भी हक निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण का खण्डन नही किया है, तथा अनुपस्थित है। राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही हैं। उसके द्वारा भूमि का बैचान किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम झडवासा की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद